लोक अदालत में निपटाए बिजली चोरी के करीब 4000 मामले

लगभग 39 करोड़ रूपये मूल्य के मामलों का हुआ निपटारा

नई दिल्लीः 10 दिसंबर। बीते शनिवार और रविवार को बीएसईएस द्वारा आयोजित लोक अदालत में बिजली चोरी के करीब 4000 मामलों का ऑन–द–स्पॉट निपटारा किया। बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए साकेत व द्वारका कोर्ट्स में तथा बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट व पीएलए बिल्डिंग में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस लोक अदालत में लगभग 39 करोड़ रूपये मूल्य के बिजली चोरी मामलों का निपटारा हुआ। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से लोक अदालत का आयोजन किया गया था।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली चोरी– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा किया गया। यहां सामान्य मामलों का तो निपटारा किया ही गया, साथ ही उन मामलों को भी निपटाया गया, जो किसी अदालत या फोरम में लंबित पड़े थे।

मामलों के निपटारे के बाद सेटल्ड रकम के भुगतान के लिए अदालत परिसर में ही अलग से कैश काउंटर की व्यवस्था की गई थी। यही नहीं, ऑन–द–स्पॉट, बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के आवेदन करने की सुविधा भी उपभोक्ताओं को वहीं उपलब्ध कराई गई।

लोक अदालत के माध्यम से पूर्वी, मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीएसईएस उपभोक्ताओं को एक अवसर मुहैया कराया गया, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सेटल्ड रकम के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया गया है। बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए शनिवार को और बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए शनिवार व रविवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया।

लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे का अवसर मिला और साथ ही, लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से भी निजात मिली। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा, क्योंकि एकसाथ लगभग 4000 मामलों का निपटारा हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ताआ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।

लोक अदालत पूरी तरह से पेपरलेस थी। इस पर्यावरण–अनुकूल, ग्रीन लोक अदालत में कागज के 30 हजार ए4 साइज शीटों की बजत हुई।

बीएसईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे बिजली चोरी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए नोटिस व पत्रों के अलावा, एफएम चैनलों, पर्चे–पोस्टरों, ईमेल, एसएमएस, वॉट्सऐप मैसेज, आदि का भी इस्तेमाल किया गया था।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।